कुलविंदर पाल सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

सटोरा सहकारी क्रेडिट और सेवा सोसायटी लिमिटेड, कुरुक्षेत्र और अन्य, -प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 101।

5 सितंबर 1989

हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984-एस.एस. 29 और 102—सरकार को तीन सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार, यदि उसने कम से कम एक लाख रुपये की सदस्यता ली हो—सरकारी हिस्सेदारी एक लाख रुपये से कम हो—राज्य सरकार द्वारा नामांकन—की वैधता।

माना गया कि हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 29 राज्य सरकार को प्रबंध समिति के तीन से अधिक सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी कम हो, नामांकित करने का अधिकार देती है, जहां सरकार ने शेयर पूंजी की सदस्यता ली या डिबेंचर के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी या ऋण और अग्रिम के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी या कम से कम एक लाख रुपये से ऋण और अनुदान के साथ समाज की सहायता की। बेशक, चारों खंड स्वतंत्र हैं, लेकिन जहां तक "बीवी एक लाख रुपये से कम नहीं" शब्दों का संबंध है, जो सभी चार खंडों को नियंत्रित करता है और जो सीएल पर लागू नहीं होता है। (iv) केवल उत्तरदाताओं की ओर से तर्क के अनुसार। जैसा कि पहले देखा गया था, यह बात रजिस्ट्रार ने स्वयं सभी सहायक रजिस्ट्रारों को स्पष्ट कर दी थी, - पत्र अनुलग्नक पी/2 दिनांक 7 जनवरी 1988 के माध्यम से। चूँकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पैराग्राफ 5 में दी गई तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वर्तमान मामले में सरकार ने रुपये का एक शेयर. रेजोनडेंट सोसायटी में केवल 16.490 और सरकारी ऋण रु. प्रतिवादियों की ओर से दायर रिटर्न में 1.125 को अस्वीकार नहीं किया गया है। यह है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 29 के तहत "बीवी को एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान नहीं होगा" की शर्त को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यह नामांकन है, यदि एएनवी। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि हरियाणा की एक महिला सदस्य को शामिल करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 या जनवरी 1988 को जारी नोटिस (अनुलग्नक पी-1) दिनांक 19 दिसंबर, 1987 को रद्द किया जाए।

आगे यह प्रार्थना की गई है कि 1 जनवरी, 1988 को होने वाले हरिजन सदस्य और एक महिला सदस्य के सहकारिता पर रोक लगाई जाए या वैकल्पिक प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को हरिजन और एक महिला सदस्य के सहकारिता में भाग लेने से रोका जाए। प्रबंध समिति के.

ए

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील जी.एस. संधू,

एस.एस. दलाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता

(1) यह निर्णय रिट याचिका संख्या 1988 की 10741, 1988 की 1586, 1989 की 10064 और 1988 की 5979 का भी निपटान करेगा क्योंकि इन सभी मामलों में शामिल प्रश्न सामान्य है।

(2) 1988 की सिविल रिट संख्या 101 को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सटोरा को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, सटोरा के सदस्य हैं। पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई समिति का चुनाव हुआ था। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ जागीर सिंह, फुमन सिंह और; सरूप सिंह को समिति का सदस्य चुना गया। सोसायटी पर लागू होने वाले उपनियमों के अनुसार, यदि कोई महिला और कोई हरिज सदस्य निर्वाचित व्यक्तियों में से नहीं हैं, तो उन्हें शामिल किया जाना है और इस प्रकार सोसायटी के प्रबंधक ने 8 जनवरी, 1988 को बैठक बुलाई थी। नोटिस निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 को भी जारी किए गए थे, जो सरकार और वित्त पोषण संस्थान, यानी कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के नामिती थे। हरिजन के साथ-साथ महिला सदस्य को भी शामिल करने का उद्देश्य। इन तीन सदस्यों को हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 29 के तहत नामांकित किया गया था।

(3) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, सरकार को सोसायटी की प्रबंध समिति में तीन से अधिक सदस्यों या निर्वाचित कुल सदस्यों में से एक तिहाई को नामांकित करने का अधिकार है, यदि उसने शेयर पूंजी की सदस्यता ली है सोसायटी को एक लाख रुपये से कम नहीं। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की स्थिति भी ऐसी ही है. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 5 में, यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में सरकार के पास रुपये का हिस्सा था। प्रतिवादी सोसायटी में केवल 16490 रुपये और सरकारी ऋण रु. 1125 और याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस प्रकार, सरकारी नामांकित व्यक्तियों को सोसायटी के मामलों में भाग लेने और वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और न ही सरकार उन्हें

नामांकित करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम थी। याचिकाकर्ताओं ने सिविल मिसेज भी दायर किया। 1988 की संख्या 1527 और इसके साथ उन्होंने अनुबंध की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी

पी/2 जो 7 जनवरी 1988 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का एक पत्र था जो हरियाणा राज्य में सहकारी समितियों के सभी सहायक रजिस्ट्रारों को लिखा गया था। यह पत्र सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों (मिनी बैंकों) में सरकारी नामितों की नियुक्ति के विषय पर लिखा गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त पत्र, अनुलग्नक पी/2 के मद्देनजर, सरकार किसी भी व्यक्ति को नामांकित करने में सक्षम नहीं थी जब तक कि उसने सोसायटी में शेयर पूंजी का योगदान नहीं दिया हो या ऋण और अनुदान के माध्यम से सोसायटी की सहायता नहीं की हो। रुपये की सीमा तक. 1 लाख. चूंकि सरकार ने रुपये की सीमा तक योगदान नहीं दिया है। 1 लाख, अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया और उत्तरदाताओं 3„से 5 का नामांकन, यदि कोई हो, अधिकार क्षेत्र के बिना था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस याचिका में तय किया जाने वाला प्रश्न यह प्रतीत होता है कि सरकारी गैर-मनी या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के नॉमिनी को सोसायटी के सहयोग में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, केवल निर्वाचित सदस्य ही किसी हरिजन या महिला सदस्य को शामिल करने के लिए सक्षम हैं और इस प्रयोजन के लिए सरकार के किसी नामित व्यक्ति, यदि कोई हो, को उक्त सहयोग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तर्क के समर्थन में, राम किशन हुडा बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा और अन्य (1), और लश्कर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) का संदर्भ दिया गया था।

(5) उत्तरदाताओं 1 से 3 और 5 की ओर से दायर रिटर्न में, प्रारंभिक आपत्तियों में से एक यह है कि याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 102 के तहत उनके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया है और इस प्रकार वर्तमान याचिका मुख्य नहीं थी। ¬धारणीय. योग्यता के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि सरकार ने शेयर पूंजी की सदस्यता ली है, इसलिए उसे नामांकन करने का अधिकार है और नामांकित व्यक्तियों को सहकारी समिति सहित सोसायटी के मामलों में भाग लेने का अधिकार है।

(6) मुख्य विवाद अधिनियम की धारा 29 की व्याख्या के आसपास घूमता है जो इस प्रकार है: -

धारा 29(1) धारा 28 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,-

(ए) जहां सरकार ने-

(i) एक सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता ली गई; या

(171981 पी.एल.जे. 481.

(ii) 1985 पी.एल.जे. 503. (iii) सोसायटी द्वारा जारी डिबेंचर के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी गई; या

(iv) सोसायटी को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी गई; या

(v) समाज को ऋण और अनुदान से सहायता प्रदान की;

एक लाख रुपये से कम नहीं, सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी सोसायटी की प्रबंध समिति में तीन से अधिक सदस्यों या ऐसी समिति के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक, जो भी हो, को नामांकित करने का अधिकार होगा। कम;

(बी) जहां औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, किसी अन्य वित्तपोषण संस्थान या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित नियोक्ता ने एक सहकारी समिति को औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या को वित्त प्रदान किया है। अन्य वित्तीय संस्थान या नियोक्ता, जैसा भी मामला हो, को समिति में एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के तहत नामांकित व्यक्ति उस प्राधिकारी की मर्जी तक पद पर रहेगा जिसने उसे नामांकित किया है।

(3) जहां सरकार द्वारा नामित किसी सदस्य या धारा 31 के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक और उसके अन्य सदस्यों के बीच किसी मामले के संबंध में मतभेद उत्पन्न होता है, तो मामला सोसायटी द्वारा सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय उस पर होगा अंतिम होगा और समिति द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा।

(4) किसी सोसायटी के उपनियमों में किसी बात के बावजूद, सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि सोसायटी या सोसायटी के वर्ग की समिति में, जैसा कि सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, सहयोजित किया जाएगा। ऐसी सोसायटी की समिति के सदस्यों द्वारा एक तिहाई सदस्य कमजोर वर्ग के होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा:

बशर्ते कि ऐसा सह-विकल्प नहीं किया जाएगा यदि ऐसी समिति में अनुसूचित जाति सहित कमजोर वर्ग के एक तिहाई सदस्य चुने गए हों।

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई सह-विकल्प नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रार इतनी संख्या में सदस्यों को नामांकित कर सकता है।

(7) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सभी चार खंड प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, यानी, ''एक लाख रुपये से कम नहीं''। चूंकि सरकार ने सोसायटी की शेयर पूंजी में एक लाख रुपये की सीमा तक सदस्यता नहीं ली है, इसलिए उसे अधिनियम की धारा 29 के तहत नामांकित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जबकि,

उत्तरदाताओं के अनुसार उक्त शब्द "एक लाख रुपये से कम नहीं" केवल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के खंड (iv) को नियंत्रित करता है, अन्य सभी तीन खंडों को नहीं, अर्थात, (i)), (ii) और (हाय)। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क में दम नजर आ रहा है. सभी चार खंड उक्त शब्दों द्वारा शासित होते हैं, अर्थात "एक लाख रुपये से कम नहीं" जैसा कि अनुभाग के पुनरुत्पादन से स्पष्ट है। यही कारण है कि रजिस्ट्रार ने अनुबंध पी/2 के माध्यम से सभी सहायक रजिस्ट्रारों को यह स्पष्ट कर दिया कि "हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1948 की धारा 29 राज्य सरकार को तीन से अधिक सदस्यों या कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार नहीं देती है।" प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो भी कम हो, जहां सरकार ने शेयर पूंजी की सदस्यता ली है या डिबेंचर के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी है या ऋण और अग्रिम के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी है, या ऋण और अनुदान के साथ समाज की सहायता की है एक लाख रुपये से कम नहीं।" बेशक, चार खंड स्वतंत्र हैं, लेकिन जहां तक "एक लाख रुपये से कम नहीं" शब्दों का संबंध है, जो सभी चार खंडों को नियंत्रित करता है और केवल खंड (iv) पर लागू नहीं होता है, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया है। जैसा कि पहले देखा गया था, यह रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं सभी सहायक रजिस्ट्रारों को स्पष्ट कर दिया गया था। -पत्र अनुलग्नक पी/2, दिनांक 7 जनवरी 1988 के माध्यम से। चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पैराग्राफ 5 में दी गई तथ्यात्मक स्थिति वर्तमान मामले में है सरकार का हिस्सा है रु. प्रतिवादी समाज में केवल 16,400 और सरकारी ऋण रु. उत्तरदाताओं की ओर से दायर रिटर्न में 1,125 से इनकार नहीं किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 29 के तहत "एक लाख रुपये से कम नहीं" की शर्त पूरी नहीं होती है। ऐसा होने पर, राज्य सरकार द्वारा किया गया नामांकन, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन था। (8) इसके अलावा, प्रत्येक खंड यानी, (i), (ii), (iii) और (iv) के बाद एक अर्धविराम होता है, जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि

शब्द "एक लाख रुपये से कम नहीं आदि" सभी चार खंडों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, यदि ऐसा नहीं होता, तो सरकार को कभी भी खंड (iv) का सहारा क्यों लेना चाहिए और अन्य खंडों के तहत मामूली राशि की सदस्यता लेकर संतुष्ट होना चाहिए।

(9) हालाँकि, अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य वित्तीय निगम द्वारा बनाए गए नामांकित व्यक्तियों में कोई दोष नहीं पाया जा सका क्योंकि उनके मामले में राशि की कोई सीमा नहीं है।

(10) केवल इस संक्षिप्त आधार पर, हरिजन और महिला सदस्यों का किया गया समझौता रद्द किया जा सकता है।

(11) दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों या वित्त संस्था के नामित व्यक्तियों को सहकारी समिति के सहकारी समिति में भाग लेने का अधिकार है या नहीं? जहां तक सोसायटी के उपनियमों का संबंध है, यह इसे निम्नानुसार स्पष्ट करता है: -

आर. 34 (ए) प्रबंध समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(ए) सात निर्वाचित सदस्य जिनमें से पांच किसान सदस्य और दो गैर-किसान सदस्य होंगे;

(बी) सरकार के तीन से अधिक नामांकित व्यक्ति नहीं, जहां उसने सोसायटी की शेयर पूंजी में योगदान दिया हो; और

(सी) उस वित्तपोषण संस्थान के एक से अधिक नामांकित व्यक्ति नहीं, जहां पत्र ने सोसायटी को वित्त प्रदान किया है।

(बी) निर्वाचित सदस्यों में से एक हरिजन और एक महिला होगी। जहां कोई हरिजन या महिला या दोनों निर्वाचित नहीं हुए हैं, उनमें से किसी एक या दोनों को, जैसा भी मामला हो, प्रबंध समिति द्वारा समाज के सदस्यों में से शामिल किया जाएगा। जैसा भी मामला हो, समिति के सदस्यों की संख्या तदनुसार एक या दो तक बढ़ सकती है।

(सी) समिति के सदस्यों को इस प्रकार चुना जाएगा कि, जहां तक संभव हो, सोसायटी के संचालन क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव से एक सदस्य हो! और कम से कम 50 सदस्य हों।"

(12) उक्त उपनियमों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य सरकार या वित्तपोषण संस्थान के नामांकित व्यक्ति सहकारिता में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे इसका हिस्सा हैं। प्रबंध समिति, जैसा कि ऊपर दिए गए उप-नियम 34(ए) के तहत प्रदान किया गया है। इस संबंध में पंजाब राज्य की स्थिति नियम 80-ए के मद्देनजर अलग है, जो यह प्रावधान करता है कि "सरकार द्वारा नामांकित सदस्यों पर तब तक रोक है जब तक कि कुछ मामलों पर (धारा 85 (एफसी) और धारा 26(2) द्वारा नामित सदस्य न हों।" धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत सहकारी समिति की समितियों को सरकार सहकारी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव में वोट नहीं देगी।" माना जाता है कि राज्य के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है। हरियाणा की। इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) का उल्लेख किया, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि किसी समाज के उपनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार को कमजोर वर्ग के एक-तिहाई सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति दी गई है, जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उक्त उप-धारा उप-धारा से अधिक है -कानून और इसलिए, उस प्रावधान के मद्देनजर उपविधि 34-ए को भी अतिरंजित माना जाएगा और राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों को सीपीओप्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं

दी जाएगी। मुझे इस विवाद में कोई योग्यता नहीं दिखती और न ही इस संबंध में ऊपर उल्लिखित निर्णयों की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता है। राम किशन हुडा के मामले में (सुप्रा) जो कि हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 26 के तहत सोसायटी के कमजोर वर्ग के सदस्यों से था, यह उस संदर्भ में था जब इसे देखा गया था इस न्यायालय ने कहा कि "इस उप-धारा, यानी, अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (5) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सह-विकल्प के प्रयोजनों के लिए, सरकार कहीं भी शामिल नहीं है और उसके पास कोई सह-विकल्प बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।" -विकल्प। किसी भी स्थिति में जब समिति के सदस्य समाज के कमजोर वर्गों से सदस्यों को शामिल करने में विफल रहते हैं, तो रजिस्ट्रार ऊपर दिए गए दूसरे प्रावधान के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान मामले में_ यह सोसायटी के उप-नियमों के तहत एक हरिजन और एक महिला का सह-विकल्प है और इसका अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) से कोई लेना-देना नहीं है, जो उप-धारा के बराबर है (5) पुराने अधिनियम की धारा 26 का।

(13) इसके अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य सरकार के तीन उम्मीदवार सह-विकल्प में भाग नहीं ले सकते। यह हमेशा उस क़ानून और उपनियम पर निर्भर करेगा जिसके तहत सह-विकल्प बनाया गया है।

(14) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी नामांकन, जहां उसने सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता ली है या समिति द्वारा जारी डिबेंचर के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी दी है या मूलधन की गारंटी दी है और सोसायटी को ऋण और अग्रिम के संबंध में ब्याज या एक लाख रुपये से कम के ऋण और अनुदान के साथ सोसायटी की सहायता करना अधिनियम की धारा 29 का उल्लंघन है और इसलिए, ऐसा कोई भी नामांकन गलत और अवैध था। इस प्रकार इन नामांकित सदस्यों द्वारा हरिजन और एक महिला का कोई भी सीडी-विकल्प रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार नया सह-विकल्प बनाया जाएगा। सभी याचिकाओं का निपटान लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)